न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 06/19 ई.सी.एक्ट अपील

सोहननाथ पुत्र श्री गोधूनाथ जाति सिद्ध निवासी ग्राम पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ व जिला बीकानेर

–अपीलान्ट

: ब ना म :

जिला रसद अधिकारी, बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री नरसाराम जाखड उपस्थित।
2. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

: निर्णय :

दिनांक 20.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह **अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976** के तहत रेस्पोडेन्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.19 को अपीलान्ट का प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया है से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को तलब किया गया एवं उनके न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा किसी धन्नाराम पुत्र शेराराम द्वारा की गई शिकायत पर अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को निलम्बित करने की अनुशंषा की गई है जो पूर्णतया गलत है। प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा 2017 से लेकर 2018 तक अनियमितता करना बताया है जबकि अपीलाण्ट को प्राधिकार अनुज्ञा पत्र क्रमांक 1574/2019 दिनांक 07.01.19 को जारी किया गया है। केवल राजनैतिक द्वेष के कारण अपीलाधीन आदेश किया गया है। अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। किसी प्रकार की जांच नहीं की गई । ग्राम के अन्य व्यक्तियो से कोई पूछताछ अथवा बयान नहीं लिये गये । अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। विद्वान वकील अपलाण्ट की यह भी बहस है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रवर्तन अधिकारी ने अनियमितता होना वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक बताया है कि जबकि उस समय अपीलाण्ट के नाम से प्राधिकार पत्र ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया गलत, गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकारविहीन होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरया जाकर अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट के विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि रसद कार्यालय द्वारा पारित आदेश उचित एंव वैध है। दिनांक 06.04.19 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा श्री धन्नाराम पुत्र शेराराम निवासी पूनरासर द्वारा श्री सोहननाथ उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पूनरासर के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण अनियमितता करने सम्बन्धि शिकायत की जांच की गई। शिकायत कर्ता द्वारा शिकायत के साथ अपने परिवार के राशनकार्ड सं. 006984300611 के पृष्ठो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। इन पृष्ठो पर जनवरी 16 से दिसम्बर 18 तक गेंहू के कॉलम में प्रत्येक माह 35 संख्या लिखी गई है। राशन डीलर के सहायक भागीरथ पंडित से पूछने पर उसने उतर दिया कि 35 की संख्या का अर्थ 35 कि.ग्रा. गेंहू है। उक्त राशन कार्ड पर माह जुलाई 17, अक्टुबर 17, दिसम्बर 17, मार्च 18, मई 18 एवं नवम्बर 18 में ऑन लाईन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। फिर भी सम्बन्धित माह के गेंहू के कॉलम में 35 की संख्या लिख दी गई है। राशन कार्ड की ऑनलाईन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में गेंहू के साथ साथ केरोसिन तेल का भी ट्राजेंक्शन किया गया है जिससे यह सिद्व होता है कि उचित मूल्य दुकानदार के सहायक भागीरथ द्वारा समस्त प्रविष्टियां बोगस की गई है जो राशन कार्ड का दुरूपयोग साबित करता है। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि पूर्व डीलर के सहायक के रूप में भागीरथ द्वारा ही समस्त कार्यवाही की जाती थी तथा वर्तमान में भी राशन डीलर के सहायक भागीरथ द्वारा राशन सामग्री वितरण आदि की कार्यवाही की जाती है। उचित मूल्य दुकानदार ने पोश मशीन सं. 1889 के द्वारा राशन सामग्री वितरण कार्य में अनियमितता करने के कारण राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के क्लॉज 8 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र सही व वैद्य रूप से निलम्बित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित राशन नहीं देने की शिकायत की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह सिद्व होता है कि ग्राम पूनरासर के उचित मूल्य के दुकानदार सोहननाथ के सहायक द्वारा धन्नाराम के राशनकार्ड में की गई समस्त प्रविष्टियां बोगस की गई है। जो उपभोक्ता के राशन कार्ड का दुरूपयोग साबित करती है। उचित मूल्य दुकानदार ने प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15, 16 एवं 17 (ग) की पालना नहीं करने के कारण उसे राजस्थान खाद्यान अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के उल्लघंन का दोषी पाये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय लिया गया है, जिसकी रेकर्ड के आधार पर पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाने के कारण इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का **आदेश दिनांक 24.04.19 को** यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के साथ जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को लौटाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक **20.05.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर (राज.)

Scanned by CamScanner